

प्रेस नोट- कादरीगेट
दिनांक- 05.09.2026

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 211/2026 धारा 109(1)/352 बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को 01 लाइसेंसी रिवॉल्वर .32 बोर मय 05 जिंदा कारतूस .32 बोर, 01 खोखा कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा थाना कादरीगेट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 211/2026 धारा 109(1)/352 बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त नरवीर सिंह को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. नरवीर सिंह पुत्र लाखन सिंह निवासी दीनदयाल बाग थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 04.09.2026 को थाना कादरीगेट क्षेत्रांतर्गत ग्राम दीनदयाल बाग में पति-पत्नी के मध्य हुए आपसी विवाद को लेकर अभियुक्त नरवीर सिंह द्वारा अपनी पत्नी को जान से मारने की नीयत से गोली मारी थी परन्तु बचाने के लिये उसका बेटा आगे आ गया, उक्त गोली बेटे की जांघ में लग जाने से वह घायल हो गया था। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 04.09.2026 को वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कादरीगेट पर मु0अ0सं0 211/26 धारा109(1)/352 बीएनएस बनाम नरवीर सिंह पुत्र लाखन सिंह निवासी दीनदयाल बाग थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत कर मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त नरवीर सिंह उपरोक्त को 01 लाइसेंसी रिवॉल्वर .32 बोर, 05 जिंदा कारतूस .32 बोर, 01 खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 27/30 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त नरवीर सिंह उपरोक्त ने पूछताछ करने पर अपनी सफाई जरिए अधिवक्ता मा0 न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त नरवीर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 211/26 धारा 109(1)/352 बीएनएस व 27/30 आर्म्स एक्ट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 लाइसेंसी रिवॉल्वर .32 बोर
2. 05 जिंदा कारतूस .32 बोर
3. 01 खोखा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 श्री हरिकेश कुमार
2. का0 शशिकान्त पाण्डेय
3. का0 डोरीलाल
4. रि0का0 हिमांशु

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

प्रेस नोट- थाना कमालगंज

दिनांक - 05.09.2026

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 280/2026 धारा 64(1)/333 बीएनएस में नामजद 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 280/2026 धारा 64(1)/333 बीएनएस में नामजद अभियुक्त जयवीर उर्फ पप्पू पुत्र रामदास निवासी रशीदपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. जयवीर उर्फ पप्पू पुत्र रामदास निवासी रशीदपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 05.09.2026 को थाना कमालगंज पर वादिनी द्वारा लिखित तहरीर बावत अभियुक्त द्वारा वादिनी के घर में घुसकर वादिनी के साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध में दी गई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कमालगंज पर मु0अ0सं0 280/2026 धारा 64(1)/333 बीएनएस बनाम जयवीर उर्फ पप्पू पुत्र रामदास निवासी रशीदपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में निरीक्षण घटनास्थल, बयान वादिनी व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जयवीर उर्फ पप्पू उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त जयवीर उर्फ पप्पू उपरोक्त ने पूछताछ करने पर अपनी सफाई जरिए अधिवक्ता मा0 न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त जयवीर उर्फ पप्पू उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 280/2026 धारा 64(1)/333 बीएनएस थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राम सहाय सिंह
2. अपराध निरीक्षक विकास जादौन
3. का0 सतेन्द्र
4. म0का0 वर्षा

मीडिया सेल फतेहगढ़।